

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-110 / 2019 1863 / पटना, दिनांक 24/6/19
प्रेषक,

मो0 सोहैल, मा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Sl. NO.	Division	Block	Name of Road	Length (in KM)	Main cost (in lakh)	Five Year Maintenance Cost (in lakh)	for emergent (10%)	Total cost (in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madhubani	Pandaul	NH-57 TO Mohan Badhiam	0.810	17.208	7.206	1.7208	26.1348
2	Madhubani	Khajauli	Datur Indra Chowk to NH Under MR-3054	1.330	23.092	10.837	2.3092	36.2382
3	Madhubani	Kaluahi	Maitol to Kaluahi Under MR-3054	1.770	29.132	15.044	2.9132	47.0892
4	Madhubani	Khajauli	NH-105 TO Narar East Under MR-3054	2.200	37.826	19.498	3.7826	61.1066
5	Madhubani	Kaluahi	NH to Jahada Tol Under MR-3054	1.130	21.155	10.075	2.1155	33.3455
6	Madhubani	Khajauli	Datwar EAST to Behta Under MR-3054	1.400	24.065	11.472	2.4065	37.9435
7	Madhubani	Kaluahi	NH-105 to Subhankarpur Under MR-3054	0.910	15.082	7.227	1.5082	23.8172
8	Madhubani	Pandaul	Bardiban to Kakna Railway Line Under MR-3054	1.050	18.813	8.898	1.8813	29.5923
9	Madhubani	Rajnagar	Rampatti to Kaiyahi	1.730	33.982	15.194	3.3982	52.5742
10	Madhubani	Rajnagar	Simri Purv se Barhara Dasil	2.100	38.617	18.471	3.8617	60.9497
11	Madhubani	Rajnagar	T01 to Kewan	1.000	32.218	8.69	3.2218	44.1298
12	Madhubani	Pandaul	Tetraha to Mohanpur	2.300	40.007	19.331	4.0007	63.3387
13	Madhubani	Rahika	Rahika Madsuda Dahiwat	3.070	104.12	28.702	10.412	143.234
14	Madhubani	Pandaul	LO31 - BIKAMPURBALIA	6.500	142.158	55.657	14.2158	212.0308
15	Madhubani	Rahika	Dhansu chowk to jagat pur	2.150	62.15	21.143	6.215	89.508
16	Madhubani	Pandaul	Madhopur - Dabhari	2.500	61.174	23.412	6.1174	90.7034
17	Madhubani	Pandaul	Udaipur Bithwar - Bih Nagar	1.100	97.666	38.401	9.7666	145.8336
18	Madhubani	Rahika	Lakhanpatti to Chouri	4.500	143.157	40.569	14.3157	198.0417
19	Madhubani	Pandaul	Narpatnagar - Bhawanipur	7.450	171.084	69.379	17.1084	257.5714

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

M.K.

Sl. NO.	Division	Block	Name of Road	Length (in KM)	Main cost (in lakh)	Five Year Maintenance Cost (in lakh)	for emergent (10%)	Total cost (in lakh)
20	Madhubani	Pandaul	PWD Road Pandaul - Sagarpur	3.700	87.451	33.847	8.7451	130.0431
21	Madhubani	Rahika	MAHARAJGANJ - BHACHEHI	1.900	78.54	15.232	7.854	101.626
22	Madhubani	Rahika	Basuara PWD Road to Belam	2.550	64.033	25.54	6.4033	95.9763
23	Madhubani	Rahika	RAHIKA - BARBHAN VIA SAURATH	2.600	57.294	25.271	5.7294	88.2944
24	Madhubani	Rahika	Kakroul to Kamalpur Dubiyahi in block Rahika of	4.000	131.989	35.97	13.1989	181.1579
25	Madhubani	Rajnagar	Rajnagar Petrol Pump to Narayanpatti	5.200	89.878	43.942	8.9878	142.8078
26	Madhubani	Pandaul	NH - GANGULI	2.830	63.405	23.304	6.3405	93.0495
27	Madhubani	Khajauli	NH-105 - Laxmipur	2.600	45.49	22.073	4.549	72.112
28	Madhubani	Pandaul	Shripurhati - Kakna	3.000	52.681	25.68	5.2681	83.6291
29	Madhubani	Kaluaahi	CHAMPA - LAXMIPUR	19.750	319.16	157.791	31.916	508.867
30	Madhubani	Kaluaahi	Dokhar - Kapania	8.250	142.7847	69.361	14.27847	226.42417
31	Madhubani	Khajauli	DARHA - TARAPATTI BORDER	4.600	83.262	39.269	8.3262	130.8572
32	Madhubani	Kaluaahi	BARDEPUR - RAMGARHA	4.410	71.849	36.468	7.1849	115.5019
33	Madhubani	Pandaul	Hati - Rampatti	5.400	98.169	47.57	9.8169	155.5559
TOTAL				118.815				3779.08487

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मधुबनी योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन सचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-03.06.2019 को सचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-110/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

M.K.

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4(मु०)-3054 04-110/2019 के पृ०-06/टि० पर दिनांक-12/06/19 को प्राप्त है।

निर्वाहभाजन

(म० प्रोहेल)
अवर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-110/2019 1863 /पटना, दिनांक-24/6/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अवर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-110/2019 1863 /पटना, दिनांक-24/6/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी /उप विकास आयुक्त, मधुबनी /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, दरभंगा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. K.